न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, खीरी।

उपस्थित- रजत प्रकाश सोन (उ०प्र० न्यायिक सेवा) (जे०ओ० कोड- UP 3725)

CNR NO.-UPLP 1200 3761 2020

मुकदमा फौज० संख्या-1959/2024

सरकार बनाम सिराज उर्फ भूरे आदि।

मु०सं०-1959/2024
एन०सी०आर०सं०- 191/2018
धारा-323,504 भा०दं०सं०
थाना- पसगवां, जिला- लखीमपुर-खीरी।

<u>बयान संस्वीकृति</u>

नाम- पुत्र- उम्र- पेशा-

निवासी- थाना- जिला-

प्रश्न **01-** यह कि दिनांक 13.08.2018, समय लगभग 03:30 बजे, पसगवां धर्मकांटा के पास, बहद ग्राम बढईया, थाना पसगवां जिला खीरी में आप लोगों ने वादी मुकदमा को गाली-गलौज कर अपमानित किया तथा वादी मुकदमा आतिफ उस्मान को लात–घूसों से मार पीटकर उपहति कारित किया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?
उत्तर-

प्रश्न**-02** आपके विरूद्ध मुकदमा क्यों चला?

उत्तर-

प्रश्न**-03** आप स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार कर रहे हैं?

उत्तर-

प्रश्न**-04** क्या कुछ और कहना है?

उत्तर-

सुनकार तस्दीक किया।

रजत प्रकाश सोन
अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी खीरी
जे0ओ0 कोड– यूपी3725

मेरे द्वारा अभियुक्त शाबू को समझा दिया गया है कि संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं हैं और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति, जो वह करेगा, उसके विरूद्ध साक्ष्य भी उपयोग में लाया जा सकता है और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है। यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गयी है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है, उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किये गये कथन का पूरा और सही वृतान्त इसमें है।

दिनांक–18.06.2026

रजत प्रकाश सोन
अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी खीरी
जे0ओ0 कोड– यूपी3725

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी, खीरी।

उपस्थित- रजत प्रकाश सोन (उ०प्र० न्यायिक सेवा) (जे०ओ० कोड- UP 3725)

CNR NO.-UPLP 1200 3761 2020

मुकदमा फौज० संख्या-1959/2024

सरकार बनाम सिराज उर्फ भूरे आदि।

मु०सं०-1959/2024
एन०सी०आर०सं०- 191/2018
धारा-323,504 भा०दं०सं०
थाना- पसगवां, जिला- लखीमपुर-खीरी।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण सिराज उर्फ भूरे, आसिफ, नसीम हैदर व शाबू द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र दिनांकित 18.06.2026 बावत जुर्म इकबाल प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण उक्त वाद में अपना जुर्म स्वीकार कर कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित होकर वाद को समाप्त कराना चाहते हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को उक्त वाद में कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए वाद को निरस्त करने की कृपा करें।

सहायक विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना गया।

अभियुक्तगण सिराज उर्फ भूरे, आसिफ, नसीम हैदर व शाबू की ओर से स्वेच्छा अपराध संस्वीकृति का कथन अन्तर्गत धारा-252 दं०प्र०सं० में किया गया है, उनकी संस्वीकृति का बयान पृथक रूप से अभिलिखित किया गया। अभियुक्तगण ने अपराध संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्तगण दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

अतः अभियुक्तगण सिराज उर्फ भूरे, आसिफ, नसीम हैदर व शाबू को अन्तर्गत धारा-323, 504 भा०दं०सं० के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। पत्रावली लंच के बाद वास्ते दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पेश हो।

दिनांक- 18.06.2026

रजत प्रकाश सोन
अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी खीरी
जे0ओ0 कोड– यूपी3725

लंच उपरान्त

लंच बाद पत्रावली पुनः पेश हुई। अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्तगण के द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थीगण गरीब, व्यक्ति हैं। अतः उन्हें कम से कम दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें है।

अभियोजन व बचाव पक्ष को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रकरण वर्ष 2020 का है। उभय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में मामले के समस्त तथ्य व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय का यह मत है कि दोषसिद्ध अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति,

अभियुक्तगण की उम्र, उनके ऊपर परिवार के भरण पोषण के दायित्व को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्तगण को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण सिराज उर्फ भूरे, आसिफ, नसीम हैदर व शाबू को धारा 323 भा0दं0सं0 अपराध के लिए मु0 1000–1000/–रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त 30–30 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

अभियुक्तगण सिराज उर्फ भूरे, आसिफ, नसीम हैदर व शाबू को धारा 504 भा0दं0सं0 अपराध के लिए मु0 200–200/–रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त 15–15 दिन का साधारण कारावास भोगेगा।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 18.06.2026

रजत प्रकाश सोन
अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी खीरी
जे0ओ0 कोड– यूपी3725

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक– 18.06.2026

रजत प्रकाश सोन
अपर सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
मोहम्मदी खीरी
जे0ओ0 कोड– यूपी3725